न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 012/2021

1. महेन्द्र
2. राजेन्द्र
3. दलीप

पिसरान मुखराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– – प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. गोपीराम पुत्र रजीराम — जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला
2. गुड्डी देवी पत्नी रजीराम — साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. दर्शना पुत्री रजीराम — राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा — प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल — अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 17/5/21

प्रार्थीगण ने जरिये वकील श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा अप्रार्थीगण 1 ता 4 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान् का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण संभावना है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही हिन्दू परिवार के परिवार के सदस्य है। जो परस्पर सहदायिकी व सहअंशदायी है। जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है। सजरा खानदान पक्षकारान लगाया गया है।

प्रार्थीगण के पिता, अप्रार्थीगण सं. 1, 3 के दादा, अप्रार्थी सं. 2 के ससुर, दावा में प्रतिवादी सं. 5 के दादा ससुर व दावा में प्रतिवादी सं. 6 के पिता मुखराम पुत्र धोंकलराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यु के खाता सं. 20/19 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी। मुखराम के देहांत होने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण, रेशमा, विमला, मीरा देवी, द्रोपती देवी के नाम ब.हिब. दर्ज हुई। रेशमा, विमला, मीरा देवी, द्रोपती देवी ने हक त्याग प्रार्थीगण व अप्रर्थीगण सं. 1, दावा के प्रतिवादी सं. 4, के पक्ष में कर दिया। उक्त भूमि में प्रार्थीगण की 6.1875 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी भूमि दर्ज है। नकल जमाबंदी सं. 2071 से 2074 संलग्न वाद पत्र है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है। जिस बाबत् पक्षकारान् के मध्य सींव, बट व रकमराज को लेकर तनाजा ... अपने हिस्सा की कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहूलियत व खाला रास्ता ... सार अपना खाता अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकमराज अलग कायम ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 11:25:10 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अत्यंत ही ... जो उक्त कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी में से अच्छी कृषि भूमि को रहन बेय करने की फिराक में है। यदि वे अप... में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति ह... जिसकी भरपाई किया जाना ... मुश्किल होगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्सा की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यु–ए के खाता सं. 20/19 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड मय गै.मु. खाला खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अपने हिस्सा की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट कर दिनाकं 03.02.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सनी गई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्रावली अवलोकन व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टया मामला सुविधा व सतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया गया कि तहसील पीलीबंगा के चक 4 एनएसडब्ल्यु–ए के खाता सं. 20/19 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड मय गै.मु. खाला खातेदारी भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा तक अप्रार्थीगण आगामी पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा दिनाक 05.04.2021 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है:– यह कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधिविरूद्ध रूप से पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना–पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन प्रार्थीगण के परिवार की वंशावली सही होने से सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन प्रार्थीगण के पिता अप्रर्थी संख्या 1,3 के दादा, अप्रर्थी संख्या 2 के ससूर व प्रतिवादी संख्या 5 के दादा ससूर व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता मुखराम पुत्र धाकलराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव के नाम तहसील पीलीबंगा के चक चक 4 एनएसडब्ल्यु–ए के खाता सं. 20/19 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड मय गै.मु. खाला खातेदारी भूमि होने के कथन अस्त्य होने से अस्वीकार है। मुखराम के नाम चक 4 एनएसडब्ल्यु–ए के खाता सं. 20/19 के प.नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 10 कमाण्ड, 11/.253 अनकमाण्ड, 12/.253 अनकमाण्ड 13/.253 अनकमाण्ड, 14/.253 अनकमाण्ड, 15/.253 अनकमाण्ड,16/.253 अनकमाण्ड,17/.253 अनकमाण्ड,18/.253 अनकमाण्ड, 19/.253 अनकमाण्ड व 20 ता 25 की कमाण्ड इस प्रकार कुल 10.982 है0 कमाण्ड तथा 1.518 अनकमाण्ड व 0.125 है गैरमुमकिन खला कुल 12.625 है दर्ज रिकार्ड थी जो उसकी मत्यु के पश्चात उसके वारिसान को प्राप्त हुई। प्रार्थीगण का यह कथन कि मुखराम की मृत्यु के पश्चात मुखराम की पुत्रीया रेशमा, विमला, भीरादेवी व द्रोपदी ने अपना हक प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किये गये होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है असत्य हाने से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि में से अपने नाम दर्ज 1.430 हैक्ट. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.01.2021 को नोरंगलाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को विक्रय करके विक्रय शुदा भूमि का कब्जा नोरंगलाल को बैयनामा के दिवस से ही क्रेता के रूप में सौंप दिया गया है जिस तथ्य की प्रार्थीगण को भलीभांति जानकारी होने के पश्चात् भी प्रार्थीगण ने नोरंगलाल पुत्र सोहनलाल को अपने मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण का मूल वाद ही आवश्यक पक्षकारों से असंयोजन से ग्रसित होने से खारीज होने योग्य है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना किसी [illegible] अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है [illegible] अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 किसी प्रकार से लालची किस्म के व्यक्ति [illegible] परीभूत है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की भूमि अल्प कीमत पर खरीदना चाहते थे [illegible] अप्रार्थी सं. 1 ने भूमि नही देकर अपनी भूमि नोरंगलाल को विक्रय कर दी इसी रंजिशवश प्रार्थीगण ने [illegible] के दावे की आड में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 व नोरंगलाल प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार व खरीदार है जिन्हे अपनी भूमि का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण अपने सहखातेदारों व भूमि के क्रेता को उनके हिस्से का उपयोग व उपभोग करने व पंजीकृत बैयनामे के आधार पर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने से रोकने संबंधी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में न तो किसी रूप में प्रथम दृष्टया मामला बनता है व न ही सुविधा का संतुलन व

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 11:25:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा इसके विपरीत अप्रार्थीगण जो प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार है जिनको अपने हक व हिस्से की भूमि का मनचाहा उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। जिसको प्रार्थीगण किसी अस्थाई निषेधाज्ञा से रोकने के अधिकारी नहीं है यदि किसी अस्थायी निषेधाज्ञा के जरिये अप्रार्थीगण को अपने हक व हिस्से की भूमि का उपयोग, उपभोग करने से रोका जाता है तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से प्रस्तुत किया गया होने से विशेष परिव्यय सहित खारीज़ किये जाने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन कर व पत्रावली का अवलोकन कर व साक्ष्यों से साबित होता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर बिना विवाद के काबिज काश्त है। दावे से पूर्व प्रश्नगत रकबे का बेचान हो चुका है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व से है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार कृषि भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त हिस्से की कृषि भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहकाश्तकार है। सहकाश्तकार होने के कारण अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थनादेश दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जाता है और प्रकरण में दिनांक 03.02.2021 को तहसील पीलीबंगा चक चक 4 एनएसडब्ल्यु के खाता सं. 20/19 के प. नं. 49/339(6) किला नं. 1 ता 25/1 की 6.300 हैक्ट. व प.नं. 49/340(9) किला नं. 1 ता 25 की 6.325 कुल 12.625 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्सा की कृषि भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय प्रार्थना–पत्र सरे ईजलास उभय पक्षों की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.28 11:25:10 IST
Reason: SelfAttested